विरासत | प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है

हेरिटेज भाप का इंजन बना आकर्षण का केंद्र

जबलपुर, नवभारत। भारतीय रेलवे द्वारा समय-समय पर तकनीकी उन्नयन एवं आधुनिक नवाचारों के माध्यम से यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित एवं तीव्र गति की यात्रा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। भाप इंजनों के युग से लेकर आधुनिक उच्च क्षमता वाले विद्युत इंजनों तक भारतीय रेलवे ने निरंतर विकास किया है। वर्तमान में आधुनिक तकनीक एवं ब्रॉड गेज नेटवर्क के विस्तार के कारण ट्रेनें लंबी दूरी को कम समय में तय कर रही हैं। पूर्व में नैरो एवं मीटरगेज रेलमार्गों पर ट्रेनों की गति अपेक्षाकृत कम होती थी, किन्तु गेज परिवर्तन के माध्यम से इन्हें ब्रॉड गेज में परिवर्तित किए जाने से ट्रेनों की गति एवं संचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आज भारतीय रेलवे की कई ट्रेनें 160 कि.मी./घंटा तक की गति से संचालित हो रही हैं। कोचों एवं वैगनों में आधुनिक तकनीकी सुधारों के कारण यात्री सुरक्षा एवं यात्रा सुविधाओं में भी निरंतर वृद्धि हुई है। आधुनिक वंदे भारत (ञ-18) जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की तकनीकी प्रगति का उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

विरासत संरक्षण के प्रति बढ़ाई जागरूकता

भारतीय रेलवे की समृद्ध विरासत को संरक्षित रखने हेतु पुराने भाप इंजनों, नैरोगेज कोचों एवं वैगनों को हेरिटेज स्वरूप में सुरक्षित रखने की पहल की गई है। इसका उद्देश्य नई पीढ़ी को रेलवे के गौरवशाली इतिहास, पुरानी इंजीनियरिंग तकनीकों एवं कार्य प्रणालियों से परिचित कराना है। इसी क्रम में प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाकर विरासत संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाती है। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर मंडल द्वारा नैरो गेज भाप लोकोमोटिव 718 F पंकज को जबलपुर स्टेशन के प्लेटफार्म क्रमांक-1 के बाहर सर्कुलेटिंग एरिया में स्थापित किया गया है। वर्ष 1928 में निर्मित यह ऐतिहासिक इंजन भारतीय रेलवे की गौरवशाली विरासत का प्रतीक है।

बन गया है सेल्फी पॉइंट

रेलवे द्वारा किए गए आकर्षक सौंदर्यीकरण एवं रंग-रोगन के बाद यह हेरिटेज इंजन यात्रियों एवं शहरवासियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बन गया है। प्लेटफार्म क्रमांक-1 के बाहर स्थित यह स्थल अब एक लोकप्रिय सेल्फी प्वाइंट के रूप में विकसित हो चुका है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री एवं युवा वर्ग फोटो खिंचवाते देखे जा सकते हैं। विशेष रूप से शाम के समय आकर्षक प्रकाश व्यवस्था के बीच इसकी भव्यता और अधिक निखरकर सामने आती है। जबलपुर मंडल के यांत्रिक विभाग द्वारा पुराने इंजनों एवं कोचों को नया स्वरूप देकर मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर स्थापित किया जा रहा है, जिससे ये स्थल यात्रियों के लिए यादगार स्थान बनते जा रहे हैं। यात्रियों एवं नागरिकों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा है कि इससे न केवल रेलवे स्टेशनों की सुंदरता बढ़ी है, बल्कि शहर की ऐतिहासिक पहचान को भी नया आयाम मिला है।

35 श्वानों को पकड़कर भेजा बधियाकरण केंद्र

नवभारत, जबलपुर। शहरवासियों को आवारा कुत्तों की समस्या से निजात दिलाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की दिशा में नगर निगम जबलपुर लगातार कार्य कर रहा है। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देशन में शहर के विभिन्न वार्डों में आवारा कुत्तों के बधियाकरण और एंटी-रेबीज टीकाकरण का विशेष अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है।

नगर निगम के उपायुक्त संभव अयाची, स्वास्थ्य अधिकारी अंकिता बर्मन और सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अभिनव मिश्रा ने बताया कि अभियान के तहत उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई, जहाँ से नागरिकों द्वारा लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। गुरुवार को नगर निगम की टीम और माँ बगुलामुखी सेवा समिति के दक्ष डॉग कैचर्स ने मिलकर शहर के दर्जन भर से अधिक इलाकों में सघन सर्च ऑपरेशन चलाया।

टीम ने शहर के प्रमुख रिहायशी और व्यावसायिक क्षेत्रों में सक्रियता दिखाते हुए कुत्तों को पकड़ने की कार्यवाही की जिसमें चेरीताल, अशोक नगर और मधुवन कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड, राइट टाउन और मदन महल, लकड़गंज, बाई का बगीचा और बड़ी खैर माई भान तलैया, सारा सिटी, न्यू आनंद नगर, अधारताल और पंजाब बैंक कॉलोनी शामिल रही। अभियान के दौरान कुल 35 आवारा कुत्तों को सफलतापूर्वक पकड़ा गया। नगर निगम ने सभी कुत्तों को पूर्ण सुरक्षा के साथ कठौंदा स्थित श्वान बधियाकरण केंद्र भेजा गया है।

कठौंदा केंद्र की व्यवस्था

यहाँ अनुभवी पशु चिकित्सकों की देखरेख में बधियाकरण किया जाएगा। सभी कुत्तों को एंटी-रेबीज वैक्सीन लगाई जाएगी ताकि भविष्य में संक्रमण का खतरा न रहे। पूरी प्रक्रिया पशु कल्याण मानकों के अनुरूप संपन्न की जा रही है।

ओबीसी आरक्षण मामले में अब 16 जून को होगी सुनवाई

हाईकोर्ट में दूसरे दिन भी आरक्षण के विरोध में रखी गई दलीलें

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण से जुड़े प्रकरणों में गुरुवार को दूसरे दिन भी सुनवाई जारी रहीं। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ के समक्ष सामान्य वर्ग की ओर से आरक्षण के विरोध में अपनी दलीलें पेश की गई। जिन्हें सुनने के बाद न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई वैकेशन बाद 16 जून को निर्धारित की है।

मामले में गुरुवार को दूसरे दिन हुई सुनवाई पर सामान्य वर्ग की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अमन लेखी ने दलील दी कि ओबीसी आरक्षण के निर्धारण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी और एम नागराज के प्रकरणों के मार्गदर्शी सिद्धांत तय किए हैं। इसके तहत शीर्ष अदालत ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 फीसदी तय की है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अपवादिक स्थिति में कुल आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक हो सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 27 प्रतिशत आरक्षण का कानून बनाते समय विधेयक में ओबीसी वर्ग की प्रदेश में कुल आबादी 27 फीसदी का उल्लेख किया है।

वहीं दूसरी ओर सरकार ने अपने जवाब में ओबीसी की कुल आबादी 51 प्रतिशत का शपथ पत्र दिया है। सरकार ने विशेष परिस्थिति का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए ओबीसी का 27 प्रतिशत आरक्षण स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। सामान्य वर्ग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमन लेखी, आदित्य संघी, अंशुल तिवारी तथा ओबीसी वर्ग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह एवं वरुण ठाकुर उपस्थित हुए।

सलीमनाबाद रोड स्टेशन पर रीवा इतवारी एक्सप्रेस का प्रायोगिक ठहराव

जबलपुर, नवभारत। यात्रियों की सुविधा एवं क्षेत्रीय रेल संपर्क को बेहतर बनाने के उद्देश्य से पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित गाड़ी संख्या 11754/53 रीवा-नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी एक्सप्रेस का जबलपुर मंडल के सलीमनाबाद रोड स्टेशन पर प्रायोगिक ठहराव प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के तहत गाड़ी संख्या 11754 रीवा-नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी एक्सप्रेस 16 मई से आगामी आदेश तक सलीमनाबाद रोड स्टेशन पर रात्रि 19:51 बजे पहुंचेगी तथा 19:52 बजे प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 11753 नेताजी सुभाषचंद्र बोस इतवारी-रीवा एक्सप्रेस 18 मई से आगामी आदेश तक सलीमनाबाद रोड स्टेशन पर प्रात: 04:44 बजे पहुंचेगी तथा 04:45 बजे प्रस्थान करेगी।

सूने घर में चोरी अनसुलझी, पुलिस के हाथ खाली, मालिक ने रखा ईनाम

जूते किसके, चोर कौन

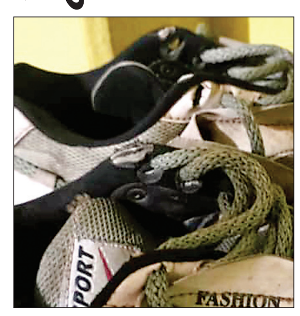

जबलपुर। गोराबाजार थाना अंतर्गत पुरानी बस्ती कजरावारा पंडित मोहल्ला में हुई चोरी की वारदात अनसुलझी है जहां चोरी हुई थी वहां अज्ञात जूते भी मिले है। पुलिस अब तक न तो चोर का पता लगा पाई है और न ही जीते किसके है इसका कोई सुराग जुटा पाई है। अब घर मालिक ने चोर का पता बताने वाले पर दस हजार रूपए का ईनाम घोषित कर दिया है।

विदित हो कि कंछीलाल उपाध्याय निवासी पुरानी बस्ती कजरावारा पंडित मोहल्ला में अपनी पत्नि के साथ रहता है वह खमारिया फैक्ट्री से वर्ष 2002 से रिटायर्ड है। 10 मई की शाम करीब 6 बजे घर के दरवाजे व गेट में ताला लगाकर पूजा करने पत्नि के साथ लडके राजेश उपाध्याय के घर नर्मदा नगर बिलहरी गए थे। दूसरे दिन 11 मई को सुबह 8 बजे घर कजरवारा वापस लौटे तो देखा गेट का ताला लगा हुआ था। दोनों अलमारी में रखे जेवरात, नगदी रूपए गायब थे। पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया। मामले में अखिल भारतीय मानव अधिकार समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय पांडेय ने बताया है कि वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी छानबीन भी की। चोरी वाले स्थान में अज्ञात जूते मिले थे जो आज भी रखे है, लेकिन पुलिस अब तक चोर का पता नहीं लगा पाई है। घर मालिक ने चोरों को पकड़वाने वाले को 10 हजार रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। अजय पांडेय ने पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय को पत्र भेज कर चोरी करने वालों को गिरफ्तार कर समान की बरामदगी करने की मांग की है।

एक नजर में

घर पर पथराव, महिला घायल, दो दांत टूटे

जबलपुर। घमापुर थाना अंतर्गत बल्दीकोरी की दफाई में बीती रात एक घर पर बदमाशों ने पथराव कर दिया। अचानक हुए हमले में महिला घायल हो गई और उसके दो दांत टूटकर गिर गए। वारदात से परिवार में दहशत फैल गई। पुलिस प्रकरण दर्ज कर पतासाजी कर रही है। घमापुर पुलिस के मुताबिक गुरूवार को काजल साहू निवासी बल्दी कोरी की दफाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि बुधवार रात करीब 11:30 बजे रात पति घर पर नहीं थे। दोस्त के जन्मदिन पर गये थे। सास फूलवती व देवर कार्तिक साहू भी सो रहे थे। उसी समय दरवाजे से खट खट की आवाज आयी तो दरवाजा खोलने गयी तो उसी समय घर पर पथराव कर दिया गया। दरवाजा खोलते समय एक पत्थर उसके मुंह में आकर लगा, जिससे उसके आगे के दो दांत आधे टुटकर गिर गये उसे चोट भी आ गई।

जमीन विवाद, दो भाईयों पर संदेह

पीड़िता के मुताबिक उसके घर के सामने कमलेश कोरी के भाई सुरेश कोरी का प्लाट पड़ा हुआ है, प्लॉट पर बाऊण्ड्री बनी हुई है। घर के सामने 10 फुट की रोड थी जो सुरेश कोरी ने उसके घर के सामने कब्जा करके बाऊण्ड्रीवॉल बना लिया है। उक्त जमीन का प्रकरण न्यायालय पर चल रहा है, पीड़िता को संदेह है कि रंजिश के चलते संदीप कोरी, कमलेश कोरी ने पथराव किया है।

बच्चों को स्केटिंग सिखाने गार्डन गए आर्मी मैन की एक्टिवा चोरी

जबलपुर। ओमती थाना अंतर्गत भंवरताल गार्डन में बच्चों को स्केटिंग सिखाने के लिए पहुंचे आर्मी मैन की एक्टिवा गार्डन के बाहर से चोरी हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर पतासाजी शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक सतीश कंचराना निवासी गोराबाजार आर्मी मैन है। पत्नी के. हरिका के साथ भंवरताल गार्डन बच्चों को स्केटिंग सिखाने के लिये फीस एवं अन्य जानकारी लेने पहुंचे थे। एक्टिवा क्रमांक एपी 39 डीजी 4060 को भंवरताल गार्डन गेट चर्च के सामने खडी करके गार्डन के अन्दर स्केटिंग ऑफिस गए वहां स्टेकिंग इंचार्ज से जानकारी लेकर शाम करीब 7:40 बजे वापस आए तो देखा कि उनकी एक्टिवा गायब थी। गाडी में आरसी, ड्रायविंग लायसेसं एवं इंश्योरेन्स सभी की ओरीजिनल कार्ड गाडी की डिक्की में रखे हुये थे।

पार्क के बाहर से महिला की एक्सेस भी पार

इसी प्रकार भंवरताल गार्डन के बाहर से एक एक्सेस भी पार हुई। पुलिस के मुताबिक विजेता यादव रोज की तरपु अपनी बेटी कृष्टि यादव के साथ भंवरताल गार्डन अपनी एक्सेस गाडी क्रमांक एमपी 20 एसवाय 0361 से भंवरताल गार्डन गई। गाडी भंवरताल गार्डन के गेट न. 01 के सामने सुबह करीबन 5 बजे खडी करके गार्डन के अन्दर टहलने चले गई थी। सुबह करीब 6:40 बजे टहलकर वापस लौटीं तो एक्सेस गायब मिली।

एक दर्जन फरार आरोपी हुए ईनामी

जबलपुर। शहर से लेकर ग्रामीण अंचल के थानों में दर्ज अपराधों में लंबे समय से फरार चल रहे एक दर्जन आरोपियों की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने ईनाम घोषित कर दिया है। जानकारी के अनुसार बरगी थाने में दर्ज हत्या के प्रकरण में फरार अज्ञात आरोपी समेत एक अन्य हत्या के प्रयास में फरार आरोपी पर दस-दस हजार रूपए, भेड़ाघाट थाने में दर्ज अन्य प्रकरण में शुभम पटेल एवं ग्वारीघाट थाने में दर्ज अपराध में मोहित केवट, बॉबी बाल्मीक, भरत ठाकुर पर पांच-पांच हजार रूपए, बरगी थाने में दर्ज धोखाधड़ी के प्रकरण में राजेन्द्र पुरी गोस्वामी, अम्बिका प्रसाद चौबे, मसका बर्मन एवं विजय नगर थाने में दर्ज दुष्कर्म के प्रकरण में फरार प्रदीप तिवारी पिता रामेश्वर प्रसाद तिवारी की गिरफ्तारी पर चार हजार रूपए, विजय नगर थाने में दर्ज एक अ न्य प्रकरण में दिन्नू चौधरी, राजा चौधरी पर तीन हजार रूपए का ईनाम घोषित किया है।

जगन्नाथपुरी से रायपुर होते हुए जबलपुर पहुंची गांजे की खेप समेत नाबालिग पकड़ाई, महिला फरार

जबलपुर। मदनमहल पुलिस ने जगन्नाथपुरी से रायपुर होते हुए जबलपुर पहुंची गांजे की खेप समेत एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को पकड़ा है। पुलिस ने कुल 4 किलो 154 ग्राम गांजा जब्त किया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2 लाख 7 हजार 700 रुपये है। मुख्य आरोपी महिला फरार हो गई है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

मदनमहल थाना प्रभारी धीरज राज ने बताया कि दद्दा परिसर के सामने एक नाबालिग लड़की संदिग्ध हालत में सूटकेश लिए खड़ी दिखाई दी। संदेह होने पर जब पुलिस ने उससे पूछताछ की, तो उसने अपनी उम्र 16 वर्ष बताई। तलाशी लेने पर सूटकेश के अंदर खाकी रंग की पन्नी में लिपटे हुए चार पैकेट मिले, जिनमें अवैध मादक पदार्थ गांजा भरा हुआ था। पूछताछ में नाबालिग ने खुलासा कर बताया कि वह रश्मि ठाकुर नाम की महिला और ग्रुप की अन्य महिलाओं के साथ जगन्नाथपुरी गई थी। वहां से वे रायपुर पहुंचे और फिर ट्रेन के जरिए जबलपुर के मदनमहल रेलवे स्टेशन आए। स्टेशन पहुंचने पर रश्मि ठाकुर ने अपना सूटकेश नाबालिग को थमा दिया और बाहर चलकर इंतजार करने को कहा। नाबालिग स्टेशन से बाहर आकर दद्दा परिसर के सामने काफी देर तक रश्मि का इंतजार करती रही, लेकिन वह वापस नहीं लौटी। रश्मि ठाकुर भीड़ का फायदा उठाकर नाबालिग को गांजे से भरे बैग के साथ लावारिस छोड़कर रफूचक्कर हो गई। बैग में चार पैकेट में रखा गांजा रश्मि ठाकुर द्वारा लाना बतायी। तलाशी लेने पर सूटकेश के अंदर खाकी कलर की पन्नी में लिपटे हुये चार पैकेट में 4 किलो 154 ग्राम गांजा कीमती लगभग 2 लाख 7 हजार 700 रुपए का होना पाया गया। 16 वर्षिय बालिका से अवैध मादक पदार्थ गांजा जप्त करते हुए बालिका एवं रश्मि ठाकुर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस अब फरार महिला रश्मि ठाकुर की सरगर्मी से तलाश कर रही है और इस पूरे ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश करने में जुटी है।

शिव मंदिर के व्दार पर बैठा था तीन फीट लंबा सांप

जबलपुर। गढ़ा थानांतर्गत प्रेम नगर निवासी देवेंद्र गोस्वामी के घर के आंगन में बने शिव मंदिर के व्दार पर रखे लकड़ी के पटे के नीचे एक तीन फीट लंबा सांप बैठा था शाम साढ़े सात बजे जब परिजनों ने सांप को देखा तो वहां अफरातफरी मच गई। स्थानीय राजेन्द्र पटेल की सूचना पर पहुंचे सर्प विशेषज्ञ गजेन्द्र दुबे ने रैस्क्यू करते हुए सांप को पकड़कर प्राकृतिक रहवास देवताल तालाब में छोड़ दिया। पकड़ा गया सांप सांप जहरीला नहीं होता है लेकिन गुस्सैल और आक्रामक होता है। परंतु जब तक कोई छेड़छाड़ ना की जाए तब तक सर्प नुकसान नहीं पहुंचाते हैं।

सहायक कुलसचिव परीक्षा: परीक्षार्थियों के लिये त्रि-स्तरीय जांच प्रक्रिया अनिवार्य, 90 मिनट पूर्व केंद्र में पहुंचना होगा

जबलपुर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आगामी 17 मई को आयोजित होने वाली सहायक कुल सचिव परीक्षा-2025 के सुचारू और पारदर्शी संचालन के लिये नवीन सुरक्षा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। जबलपुर, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर के संभागीय मुख्यालयों पर आयोजित होने वाली यह परीक्षा ऑफलाईन पद्धति से दोपहर 12 बजे से 3 बजे के मध्य एक सत्र में संपन्न होगी। आयोग द्वारा इस बार शुचितापूर्ण परीक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परीक्षार्थियों के लिये त्रि-स्तरीय सघन जांच प्रक्रिया लागू की गई है, जिसमें बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, प्रवेश पत्र की स्कैनिंग और एचएचएमडी यंत्र के माध्यम से अनिवार्य शारीरिक तलाशी शामिल है। नवीन निर्देशों के अनुसार सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से कम से कम 90 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा ताकि सुरक्षा जांच की प्रक्रिया समय पर पूर्ण की जा सके। परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार पर ही अनुमत और वर्जित वस्तुओं की विस्तृत सूची प्रदर्शित की जाएगी, जिसका कड़ाई से पालन करना सभी के लिये अनिवार्य होगा। शारीरिक जांच (फ्रिस्किंग) के दौरान पुरुष अभ्यर्थियों की जांच पुरुष वीक्षकों द्वारा तथा महिला अभ्यर्थियों की जांच महिला वीक्षकों द्वारा सुरक्षित केबिन में की जाएगी, जबकि ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों को अपनी सुविधानुसार महिला या पुरुष कर्मचारी से जांच कराने का विकल्प प्रदान किया गया है। परीक्षा कक्ष में प्रवेश के समय परीक्षार्थी अपने साथ केवल पारदर्शी बॉलपेन, पानी की पारदर्शी बोतल, ई-प्रवेश पत्र और मूल पहचान पत्र ही ले जा सकेंगे।